लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1465

29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

समर्थ योजना के तहत कौशल विकास

1465. श्रीमती भारती पारधी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए के समुदायों के लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए समर्थ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित और सफलतापूर्वक नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समर्थ के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम, कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए वस्त्र उद्योग की उभरती मांगों के अनुरूप हों; और

(ग) समर्थ के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों, विशेष रूप से उद्यमी बनने या असंगठित क्षेत्र में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षणोत्तर सहायता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, ताकि दीर्घकालिक आजीविका बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): वस्त्र मंत्रालय, संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में उद्योग के प्रयासों को साकार करने हेतु माँग-आधारित, रोजगार-उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर, वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल है। समर्थ को अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 3,19,887 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है और 2,73,681 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिनमें 26.70% अनुसूचित जाति और 12.50% अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी शामिल हैं।

(ख): समर्थ मांग आधारित, रोजगार-उन्मुख कौशल कार्यक्रम है, जिसमें वस्त्र उद्योगों को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए 120 एनएसक्यूएफ के समान पाठ्यक्रमों से उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीधे सूचीबद्ध किया गया है।

(ग): समर्थ योजना में प्रवेश स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम 70% और संगठित क्षेत्र में नियोजन पश्चात सहायता के रूप में 6 माह तक रखने के साथ अपस्किलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 90% प्लेसमेंट का प्रावधान है। इसके अलावा, हथकरघा, हस्तशिल्प, जूट और ऊन के पारंपरिक क्षेत्र में स्व-रोज़गार का भी प्रावधान है।
